



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RVUNL

वाणिज्यिक सहायक

भाग - 1

भारत का सामान्य ज्ञान

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "वाणिज्यिक सहायक" को एक विभिन्न अपने - अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को "राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान (RVUNL)" द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "वाणिज्यिक सहायक" की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो: 9887809083

ईमेल: contact@infusionnotes.com

वेबसाइट: <https://www.infusionnotes.com>

मूल्य :- ₹ 0/-

संस्करण :- नवीनतम

	<u>भारत का भूगोल</u>	
क्र.सं	<u>अध्याय</u>	पेज नंबर
1.	भारत की भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतियाँ प्रदेश	1
2.	जलवायु	28
3.	प्रमुख नदियाँ एवं झीलें	41
4.	सिंचाई	53
5.	कृषि (प्रमुख फसलें)	58
6.	प्रमुख खनिज	67
7.	प्रमुख उद्योग व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश	74
	<u>राष्ट्रीय आंदोलन</u>	
1.	भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं	83
2.	19 वीं एवं 20 वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन	114
3.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन - विभिन्न अवस्थाएं	120
4.	स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान	138
5.	1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान	149
6.	राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन	153
7.	राजनीतिक जनजागरण	161
8.	प्रजामण्डल आंदोलन प्रजामण्डल	166
9.	राजस्थान का एकीकरण	174
10.	स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण - राष्ट्रीय एकीकरण	179

11.	राज्यों का पुनर्गठन	182
12.	नेहरु युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास -	183
	<u>भारतीय संविधान</u>	
1.	भारतीय संविधान की प्रकृति	184
2.	संविधान निर्माण में डॉ.बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका	186
3.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	188
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना)	190
5.	मौलिक अधिकार	193
6.	नीति निर्देशक तत्व	200
7.	मूल कर्तव्य	202
8.	संविधान संशोधन	209
9.	आपात कालीन प्रावधान	213
10.	जनहित यचिका	215
11.	राष्ट्रपति	217
12.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	234
13.	भारतीय संसद	240
14.	उच्चतम न्यायालय	250
15.	निर्वाचन आयोग	256
16.	नियंत्रक एवं (अनुच्छेद - 148 -151) महालेखा परीक्षक	260
17.	केंद्रीय सूचना आयोग/मुख्य सूचना आयुक्त	261
18.	लोकपाल	264

19.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	266
20.	नीति आयोग	267
21.	वित्त आयोग	268

भारत का भूगोल

अध्याय - 1

भारत की भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतियाँ

प्रदेश

- भारत हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में एवं पूर्वी गोलार्द्ध के मध्य में स्थित एक विशाल देश है।
- आर्यों का निवास क्षेत्र होने के कारण भारत को प्राचीनकाल में आर्यावर्त कहा जाता था।
- बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप की संज्ञा दी गयी।
- ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इण्डिया कहा।
- भारत को आकार की विशालता एवं विविधता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गयी है।

भारत के पड़ोसी देश-

- I. उत्तर-पश्चिम: पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
- II. उत्तर: चीन, नेपाल और भूटान।
- III. पूर्व: म्यांमार और बांग्लादेश।
- IV. दक्षिण: श्रीलंका और मालदीव।

- भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्द्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है।
- भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

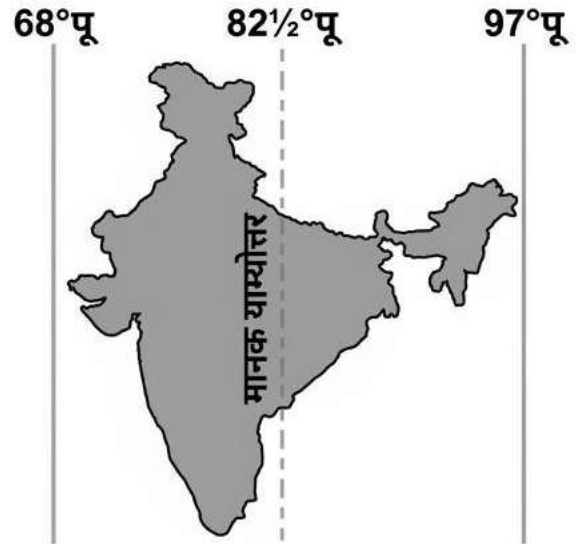
अक्षांशीय विस्तार -

- दक्षिण में 8°4' उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से उत्तर में 37°6' उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल (लद्दाख) तक स्थित है। इनके मध्य की दूरी 3214 कि.मी. है।
- **नोट** - भारत का दक्षिणतम बिंदु - 6°45' उत्तरी अक्षांश इंदिरा प्वाइन्ट / पारसन प्वाइन्ट ग्रेट निकोबार से शुरु होता है।

देशांतरीय विस्तार -

- भारत पश्चिम में 68°7' पूर्वी देशांतर गुहरमोती (गुजरात) से पूर्व में 97°25' पूर्वी देशांतर किबिथू (अरुणाचल प्रदेश) तक इनके मध्य की दूरी 2933 कि.मी. है।
- भारत का मानक समय 82°1/2 पूर्वी देशान्तर (उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट नैनी)
- (गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है)। जो ग्रीनविच समय से 5 घण्टा, 30 मिनट आगे है। यह रेखा पाँच राज्यों से गुजरती है-

1. उत्तर प्रदेश
2. मध्य प्रदेश
3. छत्तीसगढ़
4. ओडिशा
5. आन्ध्र प्रदेश



- 23°1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा (कर्क रेखा) भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है -
- गुजरात - राजधान - मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़ - झारखण्ड - पश्चिम बंगाल - त्रिपुरा - मिजोरम
- **नोट :-** भारत में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक-दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं।
- **भौगोलिक क्षेत्रफल** - 32,87,263 वर्ग कि.मी. (विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत भाग)। (3.28 मिलियन वर्ग किमी।)
- भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश -

1. रूस 2. कनाडा 3. USA 4. चीन 5. ब्राजील 6. आस्ट्रेलिया 7. भारत
- जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में भारत पहले स्थान पर है। चीन विश्व का दूसरा बड़ा देश है।
- भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भाग निवास करता है।

भारत की सीमा -

- भारत की स्थलीय सीमा सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है।
- **स्थलीय सीमा** - (15,106.7km) 15,200 किलोमीटर लंबी है।

भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य -

1. **अफगानिस्तान (106km) (डूरंड रेखा)** : लद्दाख भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश।
2. **भूटान (699KM)** : अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल
3. **म्यांमार (1643KM)** : अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड
4. **नेपाल (1751KM)** : बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

5. **पाकिस्तान (3323KM) (रेडक्लिफ रेखा)** : गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख
6. **चीन (3488KM) (मैकमोहन रेखा)** : लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र), अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड
7. **बांग्लादेश (4096.7 km) (रेडक्लिफ रेखा)** : असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल

भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला

- **तटीय सीमा** - लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित, तट की कुल लंबाई 7,516.6 किमी है। (पुराने तटरेखा)
- **नवीनतम तटरेखा (2023-24 के अनुसार)** - 11098.81 KM है।
- **राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लम्बी जबकि गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है**
- **UT में अंडमान - निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लम्बी जबकि पुदुचेरी की सबसे छोटी तटरेखा है**

सागरीय विस्तार -

- संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मलेन के आधार पर किया गया। (UNCLOS, 1982)।
- आंतरिक जल - भारत का पूर्ण सम्प्रभुत्व
- सीमावर्ती सागर (आधार रेखा से 12 समुद्री मील) - भारत का अधिकार क्षेत्र
- संलग्न सागर (आधार रेखा से 24 समुद्री मील) - भारत को सीमा शुल्क, कर एवं अन्य वित्तीय अधिकार
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (आधार रेखा से 24 समुद्री मील) भारत को संसाधनों के दोहन, कृत्रिम द्वीपों के निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार।
- उच्च सागर (अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बहार)- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे।

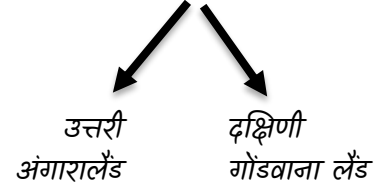
मुख्य जलडमरूमध्य:

- **ग्रेट चैनल** - इंदिरा प्वाइंट - इंडोनेशिया।
- **10° चैनल** - लिटिल अंडमान - कार निकोबार।
- **9° चैनल** - मिनिकोय - लक्षद्वीप।
- **8° चैनल** - मालदीव - मिनिकोय।
- **मन्नार की खाड़ी** - भारत - श्रीलंका।

भारत की भूगर्भिक संरचना -

- भारत के उत्तर में जहाँ हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ, तो वहीं दक्षिण में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें मिलती हैं।
- **पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास - 5 कल्प**
 1. एजोइक
 2. पेलियोजोइक
 3. मेसोजोइक
 4. सेनोजोइक
 5. निओजोइक

पैजिया (कार्बोनिफेरस काल में)



- प्रायद्वीपीय भारत के अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्टार्क्टिका का निर्माण हुआ है।
- भारत का भूगर्भिक इतिहास आद्य कल्प (Archean Era) से लेकर नवीन नवजीवी कल्प (Quaternary Era) तक
- 1. आद्य महाकल्प आर्कियन समूह की चट्टानें
 - (1) आद्यक्रम की चट्टानें
 - (2) धारवाड़ क्रम की चट्टानें
- 2. पुराण समूह की चट्टानें
 - (1) कुडप्पा क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानें
- 3. द्रविड़ कल्प (Dravid Era)
- 4. आर्यन क्रम की चट्टानें

1. आद्य कल्प (Archean Era) -

(A) आद्यक्रम की शैलें (Archean System)

- यह अत्यंत प्राचीन और खेदार शैलें
- **जीवावशेषों (fossils) का अभाव**
- तीन मुख्य क्षेत्र -
 1. बंगाल नाइस
 2. बुन्देलखण्ड नाइस
 3. नीलगिरि नाइस।

(B) धारवाड़ क्रम की शैलें (Dharwar System)

- ये आद्य क्रम की शैलों के ऊपर मिलती हैं
- **कायान्तरण (transformation) और अपरदन (erosion)**
- **जीवाश्म का अभाव**
- मैसूर - धारवाड़ - बल्लारी क्षेत्र 2. छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र 3. राजस्थान में अरावली क्षेत्र 4. पंजाब तथा उपहिमालय के कुछ क्षेत्र
- **धात्विक खनिज और संगमरमर जैसी कायान्तरित शैलें पाई जाती हैं।**

2. पुराण कल्प (Purana Era) -

(A) कुडप्पा क्रम की शैलें (Cuddapah System)

- **अपरदित पदार्थों के निक्षेपण (deposition)** से निर्माण
- इनका एक बड़ा हिस्सा लंबी कायान्तरण (transformation) प्रक्रिया से गुजर चुका है।

जीवाश्म का अभाव

- स्लेट, क्वार्ट्ज़ाइट तथा चूने के पत्थर के जमाव।
- आंध्र प्रदेश में कृष्णा व पेन्नर नदियों के मध्य स्थित श्रेणी।
- कुडप्पा (पापकनी नदी) की घाटी, नल्लामलाई तथा वेनीकोण्डा पर्वत श्रेणियाँ।
- गोदावरी घाटी।

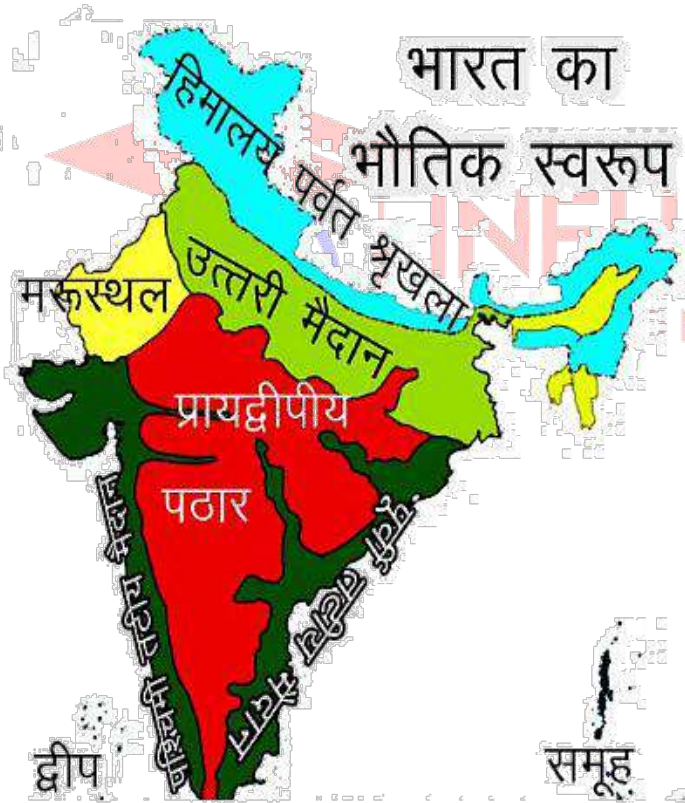
- दिल्ली क्रम तथा कश्मीर के कई क्षेत्र।

(B) विन्ध्यान क्रम की शैलें (Vindhyan System)

- कुडप्पा क्रम की शैलों के ऊपर मिलती हैं और अधिकांश भाग विन्ध्याचल पर्वत के सहारे स्थित हैं।
- बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्रों से लेकर राजस्थान (अरावली) में चित्तौड़गढ़ से होते हुए विन्ध्याचल पर्वतों तक।
- बालुका पत्थर (Sandstone), शेल, क्वार्ट्जाइट व चूना पत्थर।
- पन्ना, अनन्तपुर एवं गोलकुण्डा के हीरे प्राप्त
- बालुका पत्थर और सीमेंट उद्योग के लिए उपयोगी चूना पत्थर मिलता है।

3. द्रविड़ कल्प (Dravid Era)

- गोंडवाना क्रम की शैलें।
- विस्तार दक्षिणी भारत में
- क्षेत्र दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी
- सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ी
- कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान
- कश्मीर और स्पीति आदि



भारत का भौतिक विभाजन

4. आर्य कल्प (Aryan Era)

- निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच
- कार्बनिक खनिजों की प्रचुरता जैसे -
 - कोयला
 - खनिज तेल
 - प्राकृतिक गैस

❖ भारत का भौतिक विभाजन

भारत एक विशाल भू-भाग है जिसका निर्माण अलग - अलग भू-गर्भीय काल के दौरान हुआ है निम्नलिखित भू-आकृतिक खंडों में विभक्त किया गया है।

1. उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला

2. उत्तरी भारत का मैदान
3. प्रायद्वीपीय पठार
4. भारतीय मरुस्थल
5. तटवर्ती मैदान
6. द्वीप समूह

विशेष - भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के -

पर्वत - 10.5 % भाग पर

पठार - 27.7 % भाग पर

पहाड़ियाँ - 18.6% भाग पर

मैदान - 43.3% भाग पर

1. उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला :-

हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं।

1. हिमालय की उत्पत्ति -।

(A) कोबर का भू-सन्नति सिद्धान्त

(B) प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त

(A) कोबर का भू-सन्नति सिद्धान्त -

- जर्मनी के प्रसिद्ध भू-गर्भ शास्त्री कोबर।
- हिमालय का निर्माण दो विशाल भू-खण्डों (अग्र भूमि / Forelands) में संकुचन गति (compressional force) के कारण हुआ है।
- लम्बे, संकरे, छिछले और कमजोर तली वाले सागरीय भागों को भू-सन्नति कहते हैं (यहाँ यह 'टेथिस सागर' था)।

निर्माण की प्रक्रिया (Process):

1. टेथिस सागर को घेरे हुए दोनों विशाल भू-खण्डों से लगातार अवसाद (sediments) आकर सागर की तली में जमा होते गए।
2. ऊपरी अवसादों के अत्यधिक दबाव के कारण ये अवसाद परत दर परत दबते गए और अवसादी चट्टानों में बदल गए।
3. दोनों तरफ की अग्रभूमियों के दबाव (संकुचन गति) के कारण किनारों की चट्टानों में वलन (मोड़) पड़ने लगा।
- दोनों किनारों पर वलन पड़ने से हिमालय तथा कुनलून पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ।
- इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच का कम दबाव वाला क्षेत्र बिना वलन के ऊपर उठ गया, जिसने पठार का रूप ले लिया। इसे तिब्बत का पठार कहा जाता है।

अध्याय - 3

प्रमुख नदियाँ एवं झीलें

अपवाह व अपवाह तंत्र (Drainage and Drainage System)

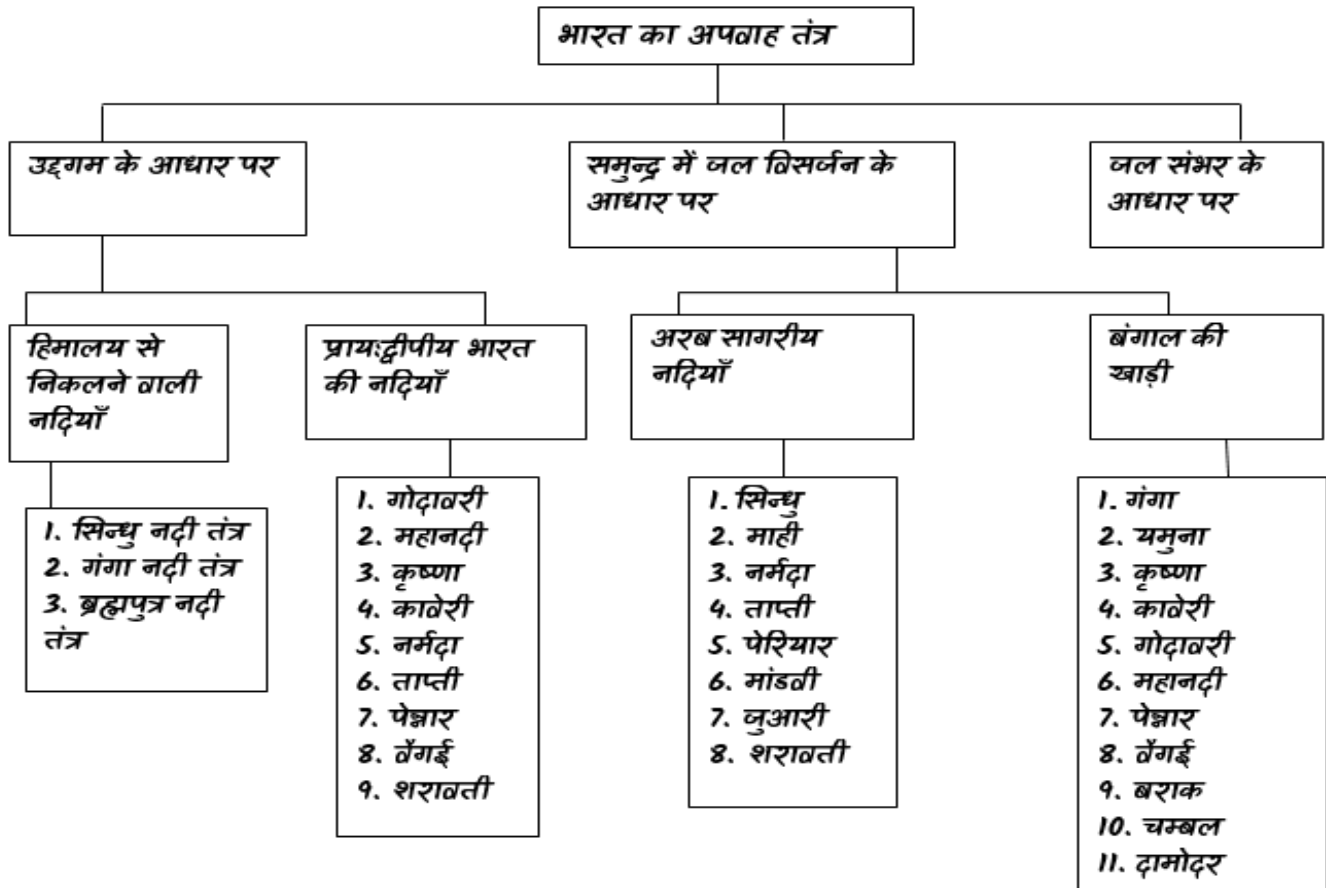
निश्चित वाहिकाओं (Channels) के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह (Drainage) तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र (Drainage System) कहा जाता है।

जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area)-

एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं।

अपवाह द्रोणी -

जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा और हिमनद का जल प्राप्त होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं।



जल संभर क्षेत्र / Watershed area

तीन भागों में बाँटा गया है-

- प्रमुख नदी श्रेणी:** जिनका अपवाह क्षेत्र 20000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियाँ श्रेणियाँ शामिल हैं। जैसे - गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि।
- मध्यम नदी श्रेणी:** जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है। इसमें 44 नदी श्रेणियाँ हैं, जैसे - कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि।
- लघु नदी श्रेणी:** जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं।

अपवाह प्रवृत्ति

1. पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह -

- वे नदियाँ, जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थी तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात् महाखण्ड बनाकर

अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिन्धु।

2. अनुवर्ती नदियाँ -

- वे नदियाँ, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं।

3. परवर्ती नदियाँ -

- चम्बल, सिंध, बेतवा, सोन आदि नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है।

4. दुमाकृतिक अपवाह -

- वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो उसे दुमाकृतिक अपवाह कहते हैं।

5. जालीनुमा अपवाह -

- यह एक आयताकार प्रतिरूप है। जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समान्तर बहती हैं और सहायक नदियाँ समकोण पर पायी जाती हैं।

6. कंटकीय प्रतिरूप -

- जब नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएँ मिलती हैं, जिनकी प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो ऐसे प्रतिरूप कंटकीय प्रतिरूप (Thorny Pattern) कहलाता है उदाहरण - सिन्धु एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने ऊपरी भाग में इसका निर्माण करती हैं।

7. आयताकार अपवाह -

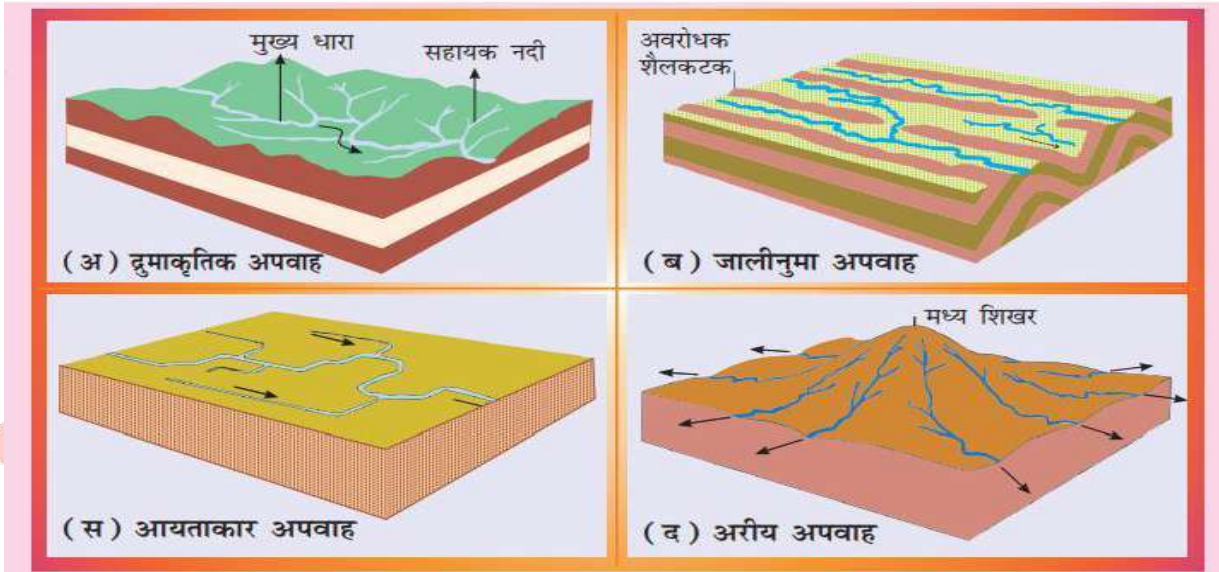
- वह अपवाह प्रतिरूप, जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव एवं समकोणीय सम्मिलन है।

8. अरीय प्रतिरूप -

- इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केन्द्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है, इस प्रतिरूप में शीर्ष भाग से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उदाहरण - पारसनाथ की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी

9. वलयाकार प्रतिरूप -

- इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में, पर्वती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम है।



हिमालयी अपवाह तंत्र -

- हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों (हिमानी या हिमनद) के पिघलने से बनी हैं अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरन्तर प्रवाह बना रहता है।
- हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों-हजारों वर्ग किमी. में फैले हैं। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी-तंत्रों में विभाजित किया गया है।
- उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अधिक महत्त्व है।
- ये नदियाँ तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं।
- उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती हैं। इन्हीं नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
- नदियाँ बारहमासी (Perennial) हैं क्योंकि ये वर्षण एवं बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ गहरे महाखण्डों से गुजरती हैं। जो हिमालय के उत्थान के साथ-साथ होने वाली अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं।

इंडो ब्रह्म नदी:- भू-वैज्ञानिक मानते हैं, कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाखों वर्ष पहले एक विशाल नदी थी। जिसे शिवालिक या इंडो - ब्रह्म नदी कहा गया है।

इंडो ब्रह्म नदी के तीन मुख्य अपवाह तंत्र -

1. पश्चिम में सिन्धु और इसकी पाँच सहायक नदियाँ
2. मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ
3. पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ

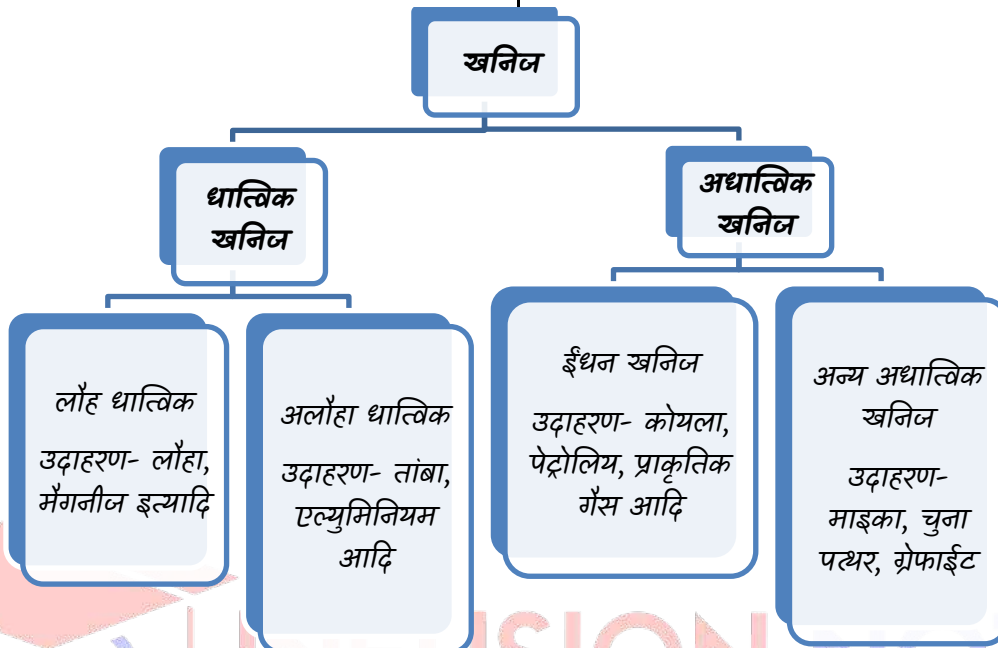
सिन्धु नदी तंत्र -

- सिन्धु नदी तंत्र = सिन्धु नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ
- सिन्धु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी नदी श्रेणियों में से एक है।
- सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी (मानसरोवर झील) में बोखर-चू के निकट एक ग्लेशियर (हिमनद) से होता है। तिब्बत में इसे शेर मुख अथवा सिंगी खंबान कहते हैं।
- कुल लंबाई 2,880 किमी।
- भारत में लम्बाई केवल 1,114 km है।
- भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है।

अध्याय - 6

प्रमुख खनिज

- खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिसका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो तथा उनको उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है साथ ही इन सभी का आर्थिक महत्व हो, खनिज संसाधन कहलाते हैं।



- पृथ्वी की भी भू-पर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज निम्न हैं-

खनिज	प्रतिशत
ऑक्सीजन	46.60
सिलिकन	27.72
एलुमिनियम	8.13
लोह	5.00
कैल्शियम	3.63
सोडियम	2.83
पोटेशियम	2.59
मैगनेशियम	2.09
अन्य	1.41

- भारत में आजादी के समय तक 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है, इनमें से 35 खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक मानव को लगभग 1600 प्रकार के खनिजों का ज्ञान हो चुका है।
- खनिजों की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, भारत द्वितीय स्थान पर तथा रूस तृतीय स्थान पर है।

भारत में खनिजों का वितरण -

खनिज संसाधनों की मेखलायें (Belts of Mineral Resources)

- बिहार-झारखण्ड-उड़ीसा-पश्चिम बंगाल मेखला :**
 - यह मेखला छोटा नागपुर व समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई है। यह लौह अयस्क, मैंगनीज, ताँबा, अभ्रक, चूना पत्थर, इल्मेनाइट, फॉस्फेट, बॉक्साइट आदि खनिजों की दृष्टि से धनी है। झारखण्ड खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है।
- मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़ - आंध्रप्रदेश -महाराष्ट्र मेखला:**
 - इसमें भी लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ऐस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट, अभ्रक, सिलिका, हीरा आदि बहुलता से प्राप्त होते हैं।
- कर्नाटक - तमिलनाडु मेखला :**
 - यह सोना, लिग्नाइट, लौह अयस्क, ताँबा, मैंगनीज, जिप्सम, नमक, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
- राजस्थान - गुजरात मेखला :**
 - यह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ताँबा, जस्ता, घीया पत्थर, जिप्सम, नमक, मुत्तानी मिट्टी आदि खनिजों की दृष्टि से धनी है।
 - राजस्थान के गोठ - मंगलोद क्षेत्र में जिप्सम खनिज पाया जाता है।
 - राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्कों, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है।

5. केरल मेखला :

- केरल राज्य में विस्तृत इस मेखला में इल्मेनाइट, जिरकन, मोनाजाइट आदि अणुशक्ति के खनिज, चिकनी मिट्टी, गार्नेट आदि बहुलता से पाये जाते हैं।

लौह अयस्क

- लौह अयस्क मुख्यतः प्रायद्वीपीय धारवाड़ संरचना में पाया जाता है।
- विश्व के कुल लौह अयस्क का लगभग 3 प्रतिशत भारत में निकाला जाता है।
- कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक निर्यात कर दिया जाता है।

लौह अयस्क के प्रकार

भारत में लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार का प्राप्त होता है:
1. मैंगेटाइट 2. हेमेटाइट 3. लिमोनाइट 4. सिडेराइट

1. मैंगेटाइट :

- सर्वोच्च किस्म, जिसमें शुद्ध धातु का अंश 72 प्रतिशत तक होता है।
- रंग - काला
- आग्नेय शैलों में पाया जाता है।
- चुम्बकीय लोहे के ऑक्साइड होते हैं। मैंगेटाइट अयस्क के भण्डार कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, झारखण्ड आदि राज्यों में पाये जाते हैं।

2. हेमेटाइट :

- यह लाल या भूरे रंग का होता है।
- शुद्ध धातु की मात्रा 60-70 प्रतिशत तक होती है।
- यह झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा राज्यों में मिलता है।

3. लिमोनाइट :

- रंग पीला या हल्का भूरा होता है।
- इसमें 30 से 50 प्रतिशत तक शुद्ध धातु का अंश होता है।
- यह पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है।

4. सिडेराइट :

- रंग हल्का भूरा होता है।
- धातु का अंश 40-48% तक होता है, अशुद्धियाँ अधिक होती हैं।

कर्नाटक

- यह राज्य भारत के लौह अयस्क उत्पादन में 24.80 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान है।
- यहाँ पर कादर (बाबा बटून की पहाड़ियाँ), बेलारी, हास्पेट, शिमोगा, धारवाड़, तुमकूर, चिकमंगलूर चित्रदुर्ग आदि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं।
- राज्य में हेमेटाइट किस्म की 55 से 65 प्रतिशत लौह अयस्क वाली धातु निकाली जाती है।

उड़ीसा

- देश में लौह अयस्क उत्पादन में 22.13 प्रतिशत के साथ देश में दूसरा स्थान है।

- यहाँ पर मयूर भंज (गुरुम हिसानी, सुलेमात और बादाम पहाड़), सुन्दरगढ़, बोनाई, सम्बलपुर व कटक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन जिले हैं।

- यहाँ हेमेटाइट किस्म की 58 से 60 प्रतिशत तक अयस्क वाली धातु पाई जाती है।

छत्तीसगढ़

- यह राज्य 19.97 प्रतिशत उत्पादन करके तीसरा स्थान रखता है।
- यहाँ बस्तर और दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं जबलपुर, राजगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, बालासर आदि अन्य उत्पादक जिले हैं।
- यहाँ हेमेटाइट किस्म की 50 से 66 प्रतिशत तह लौह अयस्क वाली धातु निकाली जाती है।

गोवा

- देश में 18.05 प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन कर चौथे स्थान पर है।
- यहाँ मिरना अदोल पाले ओनडा, कुडनम, प्रिंससलेम, आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। लोहे को साफ करके मारमगोवा बन्दरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है।
- यहाँ घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है जिसमें लौह अंश की मात्रा 50 प्रतिशत तक होती है।

झारखण्ड

- देश में लौह अयस्क उत्पादन में इसका 14.11 प्रतिशत के साथ पाँचवाँ स्थान है।
- यहाँ सिंह भूमि (नोआमण्डी) मातभूमि, हजारी बाग आदि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन जिले हैं।

महाराष्ट्र

- यहाँ चन्द्रपुर जिले में पीपलगाँव, लौहार, देवलगाँव तथा रत्नागिरी जिले में लौहा अयस्क पाया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश

- यहाँ आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा, गुन्टूर, नैलोर, चित्तूर, बारगल आदि प्रमुख लौह उत्पादक जिले हैं।
- यहाँ मैंगेटाइट किस्म की 65 से 72 प्रतिशत अंश वाली लौह अयस्क निकाली जाती है।

तमिलनाडु

- यहाँ सलेम चिरुचनापल्ली, अकार्ट, नीलगिरि, धर्मपुरी प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं। यहाँ 65 से 70 प्रतिशत अंश वाली हेमेटाइट प्रकार की धातु निकाली जाती है।
- अन्य राज्य बिहार, पं. बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में भी लौह अयस्क निकाला जाता है।

राजस्थान

- राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है।
- लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य नहीं है।

राष्ट्रीय आंदोलन

अध्याय - 1

भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ

यूरोपीय कम्पनियों का आगमन-

भारत में आने वाली यूरोपीय कम्पनियों का क्रम

पुर्तगाली → डच → ब्रिटिश → डेनिश → फ्रांसीसी → स्वीडिस

वास्कोडिगामा-

- यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कम्पनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत में आने के लिए इन्होंने नये समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगाली व्यापारी वास्कोडिगामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुँचकर की। बंदरगाह पर कथडाबू नामक स्थान पर पहुँचा।
- वास्कोडिगामा का स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात हुआ।
- भारत आने और जाने में हुए यात्रा व्यय के बदले में उसने 60 गुना अधिक धन कमाया। धीरे - धीरे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भारत में आने लगे भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों पर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की।
- नोट :- पेद्रो अंब्रेज केब्रोल भारत पहुँचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 ई. में वास्कोडिगामा पुनः भारत आया था।
- पुर्तगाली :- 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी।
- दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ई. में कन्नूर में की गई।

फ्रांसिस्को डी. अल्मोडा [1505 - 1509]

- यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर / वायसराय बनकर आया था। इसने 1509 में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया।
- इसे पुर्तगाली सरकार ने आदेश दिया था कि यह भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण करे जिनका उद्देश्य बस केवल सुरक्षा न होकर हिन्द महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना भी हो (उसके द्वारा अपनाई नीति नीले या शांत जल की नीति कहलाई)
- यह पॉलिसी हिन्द महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरु की थी।
- पुर्तगाल की राजधानी - लिसबन

अल्फांसो डी. अल्बुकर्क (1509 - 1515)

भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी. अल्बुकर्क था।

- जो सर्वप्रथम 1509 ई. में भारत आया और उसी समय (1509 ईस्वी) उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम - दुर्ग का निर्माण करवाया।
- 1509 ई. में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ।
- 1510 ई. पुर्तगालियों ने गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था।
- 1511 ई. में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ई. में फारस की खाड़ी में अवस्थित हर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया।
- अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बन्द करवा दी।
- अल्बुकर्क राजा राममोहन राय का पूर्व गामी था।
- पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया।
- अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारम्भ की।

निन्हो डी. कुन्हा (1529-1538)-

अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर निन्हो डी. कुन्हा था। जिसने 1529 ई. में भारत में कार्यभार ग्रहण किया।

- कुन्हा ने 1530 ई. में शासन का प्रमुख केन्द्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया।
- कुन्हा ने दमन, सालसेट, चॉल, बम्बई सेन्टटॉमस, मद्रास और हुगली में पुनः अपने केन्द्र स्थापित किये।
- कुन्हा ने हुगली और सैनथोमा मद्रास के पास पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया।
- भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा 1542-1545 के समय हुआ।
- पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर से होने वाले आयात निर्यात पर एकाधिकार स्थापित कर लिया।
- मुगल शासक अकबर के दरबार में दो पुर्तगाली इसाई पादरियों मोंसेरेट तथा फादर एकाबिवा का आगमन हुआ।
- भारत में तम्बाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात् हुई।
- पुर्तगालियों ने ही सन् 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की।
- 1661 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट (अंग्रेज) चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुम्बई द्वीप दहेज में दे दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- बंगाल के शासक 'मसूद शाह' द्वारा पुर्तगालियों को चटगाँव और सतगाँव में व्यापारिक कम्पनियाँ खोलने की अनुमति दी गई।

- 'अकबर' की अनुमति से हुगली में कम्पनी की स्थापना की गई।
- शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के अधिकार से 'हुगली' को छीन लिया था।

कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था :- यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अन्तर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना 'परमिट' लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था।

इन जहाजों में काली मिर्च व गोला बास्द ले जाना मना था।

पुर्तगालियों के पतन के कारण

- पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौती आदि पुर्तगालियों के पतन के कारण बनें।

पुर्तगालियों की भारत को देन

- मध्य अमेरिका से तम्बाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पीपता और अमरुद का भारत में प्रवेश पुर्तगालियों ने कराया।
- बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ।
- जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस (1556 ई.) की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारम्भ की।
- पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ।

डच

- डच पुर्तगालियों के बाद भारत आये।
- डच नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे।
- डचों की कम्पनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी ऑफ नीदरलैंड था, की स्थापना 1602 में की थी। वास्तविक नाम वेरीगीडे ओस्ट इन्डिश् कम्पनी था।
- डचों ने भारत में अपनी "प्रथम फैक्ट्री" 1605 ई. में मसूली पट्टनम में स्थापित की।
- डचों का भारत में प्रथम दल "कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया। वह भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था।
- डचों ने 1602 ई. में गुजरात, कोरोमण्डल तट एवं बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की।
- डचों ने मसूली पट्टनम, पुलीकट, सूरत, कराइकल, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में कोठियाँ खोली।
- डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री '1627' में पीपली - (स्थाई कम्पनी) में स्थापित की।
- '1653' में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की।
- चिनसुरा (बंगाल) में डचों ने गुस्ताबुस नामक किले का निर्माण किया।

- इसके बाद डचों ने 'कासिमबाजार' और 'पटना' में फैक्ट्री स्थापित की।
- कोचीन और कन्नानोर डचों के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे।
- '1690 ई.' के बाद पुलीकट के बदले नागपट्टनम डचों का मुख्य केन्द्र बन गया।
- डच मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व शोरा का व्यापार करते थे।
- डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता (Cartel) पर आधारित थी।
- '1759' में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत से अन्तिम रूप से पतन हो गया।
- बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लार्ड क्लाइव ने किया।
- नोट:- 'मसूली पट्टनम और सूरत से' डच 'नील' का निर्यात करते थे। भड़ौच बन्दरगाह से डच कपड़े का निर्यात करते थे।
- पुलीकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा (सिकके) डालते थे।
- सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा शोरा बंगाल से डचों द्वारा निर्यात किये जाते थे।
- भारत में अफीम डचों द्वारा जावा और चीन में निर्यात किया जाता था।
- डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था।
- डच कम्पनी के निदेशकों को भट्टजन XVII कहा जाता था।

अंग्रेज

- भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था जो स्थल मार्ग से '1597' में आया था।
- भारत में कैप्टन हॉकिन्स '1608 ई.' में समुद्री मार्ग से होकर (Red Dragon) नामक व्यापारिक जहाज से सूरत बन्दरगाह पर आया।
- हॉकिन्स प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि पर समुद्री मार्ग से प्रवेश किया था।
- 1599 ई. में लन्दन में व्यापारियों के एक समूह ने The Governor and company of merchants of trading into the east Indies नामक कम्पनी की स्थापना पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने हेतु की।
- 31 दिसम्बर 1600 ई. में ब्रिटेन की महारानी एलीजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कम्पनी को '15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।
- ईस्ट इंडिया कम्पनी ने '1608 ई.' में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली।
- जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिन्स को '1608' में भारत भेजा।
- '1609 ई.' में कैप्टन हॉकिन्स बादशाह जहाँगीर से आगरा में मिला था।

द्वारा कर्नाटक पद्धति से कार्यवाही की गई। अर्थात् किसान दिन में खेती और रात में तोड़-फोड़ करते थे।

- देश के विभिन्न भागों में भूमिगत कार्यवाही की गयी। इसी क्रम में, बाम्बे में ऊषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आंदोलन में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने आंदोलनकारियों को संरक्षण देने के साथ-साथ लोगों को आंदोलन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया।
- स्कूल की छात्राओं ने आंदोलन के दौरान सड़कों पर जुलूस निकाला।

सामाजिक आधार :- आंदोलन में किसानों की अत्यधिक भागीदारी रही। विद्यार्थी और मजदूरों ने भागीदारी करते हुए स्कूलों का बहिष्कार एवं कारखानों में हड़ताल की।

- मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही और आंदोलन के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा का कहीं नामोनिशान नहीं था। आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी शामिल नहीं रही क्योंकि विश्वयुद्ध के दौरान जब सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ मिलकर हिटलर के विरुद्ध कार्यवाही करने लगा तब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी USSR से निर्देशित होकर भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार कर रही थी।
- जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं सभा जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सरकार ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया और गाँधी से आंदोलनकारी की निंदा करते हुए माफी मांगने को कहा किंतु गाँधी ने इन्कार कर दिया और तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियाँ उत्तरदायी हो वस्तुतः उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया बल्कि हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए इसके निष्पक्ष जाँच की मांग की।
- **गाँधी ने सरकारी दमन और हिंसा के विरोध में फरवरी-1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया।** इस कदम से पूरे देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार के विरुद्ध देशभर में प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ और कैदियों को तुरंत रिहा करने की मांग हुई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् से भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया।

क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त था:

- भारत छोड़ो आंदोलन में जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं किया। जगह-जगह विवेकानुसार कार्यवाही की। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर समांतर सरकारों का गठन हुआ। तोड़-फोड़ की कार्यवाही हुई। अतः हिंसा हुई। भूमिगत रहते हुए जनता ने सरकार विरोधी कार्यवाही की। इस आधार पर इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया।
- भारत छोड़ो आंदोलन पहले के गाँधीवादी आंदोलन से इस रूप में भिन्न दिखाई देता है कि यहाँ निमंत्रित जन आंदोलन की पद्धति दिखाई नहीं पड़ती। अतः पहले के गाँधीवादी आंदोलन की तुलना में यह स्वतः स्फूर्त दिखाई देता है।

- अर्थात् आंदोलन में जनता की भागीदारी स्वतः दिखती है किंतु जनता को स्वतः स्फूर्त होने अर्थात् आंदोलन में स्वयं कार्य करने का निर्देश तो 8 अगस्त की बैठक में ही दे दिया गया था, जहाँ कहा गया कि नेता के गिरफ्तार होने पर जनता अपना नेतृत्व स्वयं करें और विवेकपूर्ण कार्यवाही करें। इस दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त होने के लिए भी निर्देशित था।

अध्याय - 4

स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान

अम्बेडकर, बी.आर. (1891-1956) -

- ये जीवन भर दलित वर्गों के नेता रहे और सदा अछूतों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए कार्य किये।
- ये महान विद्वान थे तथा लन्दन से एम.एस.सी. तथा डी.एस.सी. की उपाधियाँ प्राप्त की। ये पेशे से विधिवेत्ता और समान रूप से महान सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक तथा शिक्षाविद् थे।
- 1924 में इन्होंने दलित वर्ग संस्थान की स्थापना की तथा 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की, ताकि अछूतों और सर्वर्ण हिन्दुओं में सामाजिक समानता के संदेश का प्रसार किया जा सके।
- निम्न जातियों को समानता का स्तर दिलाने के लिए इन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री तथा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे।

अबुल कलाम आज़ाद, (1888-1958) -

- इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता महान रहस्यवादी तथा प्रसिद्ध विद्वान थे और इनकी अरबी माता, मदीना के मुफ्ती की पुत्री थीं।
- ये अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामी शिक्षा के प्रकाण्ड विद्वान थे। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आज़ाद का उपनाम धारण किया।
- 1909 में उन्होंने पत्रकारिता का कार्य शुरू किया तथा अल-नदवाह, दी वकील, अल-हिलाल तथा अल-बलघ जैसे बहुत से समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया।
- 35 वर्ष की आयु में आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे।

चन्द्रशेखर आज़ाद, (1906.31) -

- ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमे के दौरान पूछे जाने पर इन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतन्त्रता तथा अपना घर जेल खाना रखा था।
- अदालत का इस तरह अपमान करने के कारण इन्हें कोड़े लगाए गए। तभी से यह आज़ाद के रूप में प्रसिद्ध हुए।
- ये हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोशिएशन के साथ सक्रियता से जुड़े हुए थे तथा काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यन्त्र केस आदि बहुत से क्रांतिकारी तथा आतंकवादी काण्डों से संबद्ध थे।
- एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में पुलिस के साथ अकेले लड़ते हुए जब इनकी पिस्तौल की सारी गोलियाँ समाप्त हो गईं तो अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से आत्मोत्सर्ग कर लिया।

इकबाल मुहम्मद, सर (1873.1938) -

- उर्दू के प्रख्यात शायर तथा व्यवसाय से वकील इकबाल अपने जीवन के प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। इन्होंने ही प्रसिद्ध राष्ट्रप्रेमी गीत सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा लिखा लेकिन बाद में वे मुस्लिम लीग की ओर आकर्षित हुए।
- इन्होंने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें इन्होंने उत्तर-पश्चिम भारत में पृथक् मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया।
- इसी धारणा को आगे चलकर गति मिली और उसकी परिणति 1947 में पाकिस्तान राष्ट्र के सृजन में हुई। इसलिए इकबाल को पाकिस्तान के विचार का माना जाता है।

मैडम भीखाजी कामा, (1861-1936) -

- ये भारत की प्रथम सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थीं। इन्होंने बहुत से सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी तथा, वीर सावरकर, सरदार सिंह राना आदि के साथ मिल कर कार्य किया। ये
- रूसी क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आईं तथा लेनिन के साथ इन्होंने पत्रचार भी किया, 1909 से पेरिस इनका मुख्यालय हो गया तथा यह हरदयाल और शकलबाला जैसे युवा क्रांतिकारियों का मिलन-स्थल हो गया। स्वतन्त्रता के प्रति इनकी भावना इतनी प्रबल थी कि उग्र क्रांतिकारी तरीके इन्हें सहज प्रतीत होते थे।
- ये यूरोप में रहने वाले भारतीयों की अभिनव भारत समिति की प्रेरक शक्ति भी थीं। जब इन्होंने विदेशी शासकों को बाहर निकालने के अपरिहार्य तरीके के रूप में हिंसा को स्वीकार किया, तब इन्होंने बम बनाने के लिए युवा क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की।
- इन्होंने यूरोप तथा अमेरिका की यात्राएँ कीं ताकि लोगों को भारत की स्थिति के बारे में पता चल सके और उनका समर्थन समाप्त हो सके।
- 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया जहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झण्डे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। यही वास्तव में स्वतंत्र भारत के झण्डे का मूल रूप तथा अग्रदूत था। केवल रंग में अंतर था। इसमें केसरिया के स्थान पर लाल रंग था।
- इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने के अपने संकल्प की उद्घोषणा की।
- इन्होंने यह घोषणा की कि भारत एक गणराज्य होगा तथा हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी।
- सरदार सिंह राना के साथ ये क्रांतिकारी साहित्य तथा विस्फोटक पदार्थों को तस्करी के द्वारा भारत लाती थीं। भारत की स्वतन्त्रता के लिए इनकी गतिविधियाँ प्रथम विश्व युद्ध तक अबाध गति से चलती रहीं।
- बाद में फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके विश्व युद्ध के अंत तक तीन वर्ष जेल में कैद रखा। तीस वर्षों तक वे पेरिस में भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम करती रहीं।

- 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में वे मुम्बई लॉट आई तथा उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें “**भारतीय क्रांतिकारियों की माता**” कहकर सम्बोधित करना उनका सही सम्मान है।

लियाकत अली खाँ, (1895-1951) —

- मुस्लिम लीग के प्रमुख सदस्य। इन्होंने 1944 में कांग्रेस और लीग के बीच समझौते के लिए भूलाभाई देसाई से निजी बातचीत की, जिससे वे बाद में मुकर गए। अन्तरिम केन्द्रीय सरकार में वित्तमंत्री रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे।

सर सैयद अहमद खाँ, (1817 - 99) —

- ये अलीगढ़ आंदोलन और मुसलमानों के पहले आधुनिक नेता थे। इन्होंने मुसलमानों को उदारवादी शिक्षा के महत्त्व और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने के बारे में प्रबोधित किया।
- महान शिक्षाशास्त्री के रूप में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो-ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।

मोहनदास करमचन्द गाँधी, (1869-1948) —

- इन्हें बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति थे।

गोपाल कृष्ण गोखले, (1866-1915) —

- शिक्षाविद्, मानवतावादी समाज सुधारक तथा महान देशप्रेमी थे। ये कांग्रेस की उदारवादी राजनीति से संबद्ध थे।
- 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की और स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। 1915 में इनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें ‘भारत का हीरा’ कहा था।

अरविन्द घोष, (1872- 1950) —

- ये प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे, जो बाद में योगी बन गए। लगभग तेरह वर्षों तक ये अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड में रहे। लगभग दस वर्षों (1901-10) तक, विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे।
- इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता “हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है” और औपनिवेशिक स्व-शासन को इन्होंने “राजनीतिक राक्षसपन” की संज्ञा दी 1908-09 में सरकार ने इन्हें माणिकतल्ला बम षड्यंत्र काण्ड में फँसाकर एक वर्ष की कैद की सजा दी, लेकिन अंततः इन्हें छोड़ दिया गया।
- 1910 में ये पाण्डिचेरी चले गए।

रास बिहारी घोष, (1845 - 1921) —

- प्रख्यात वकील, शिक्षाविद्, मानवतावादी और बंगाल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख उदारवादी नेता

थे । इन्होंने उग्रपंथियों को घातक जनोभोजक तथा अनुभारदायी आन्दोलकारी कहा । इन्हें अंग्रजों की न्याय भावना में पूर्ण विश्वास था तथा ये उदारवादी थे । इन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की।

लाल मोहन घोष, (1849 - 1909) —

- ये महान वक्ता तथा देशभक्त थे । इन्होंने 1879 में ब्रिटिश भारतीय संघ, का इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व किया ताकि सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश दिलाया जा सके ।
- ये प्रमुख उदारवादी नेता थे । इन्होंने 1903 में मद्रास (चेन्नई) में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें अधिवेशन की अध्यक्षता की ।

जोगेश चन्द्र चटर्जी, (1895 - 1969) —

- ये एक क्रांतिकारी थे ।
- ये हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र संघ के संस्थापकों में थे। इन्हें काकोरी षडयंत्र काण्ड में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई । अपनी रिहाई के उपरान्त इन्होंने 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नाम से अनुशीलनवादियों का पृथक/ संगठन स्थापित किया।
- किन भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर 1942 में इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया । जोगेश चन्द्र चटर्जी ने विभिन्न जेलों में लगभग 24 वर्ष व्यतीत किए । इनमें से लगभग ढाई वर्ष इन्होंने विभिन्न अवसरों पर भूख हड़ताल में व्यतीत किए ।

बंकिम चन्द्र चटर्जी, (1838 -1894)

- बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के इस महान सपूत का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांठल पाड़ा नामक गाँव में हुआ था।
- बंकिम चंद्र चटर्जी कविता और उपन्यास दोनों में माहिर थे। वर्ष 1865 में, उनकी प्रथम प्रकाशित रचना बांग्ला कृति ‘दुर्गेशनदिनी’ प्रकाशित हुई थी।
- फिर उनकी अगली रचनाएं - 1866 में कपालकुंडला, 1869 में मृणालिनी, 1873 में विषवृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में रजनी, 1881 में राजसिंह और 1884 में देवी चौधुरानी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में मासिक पत्रिका ‘वंगदर्शन’ का भी प्रकाशन किया।
- “आनंदमठ” उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, जिससे प्रसिद्ध गीत ‘वंदे मातरम्’ लिया गया है। आनंदमठ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के वेतन के लिए लड़ने वाले भारतीय मुसलमानों और संन्यासी ब्राह्मण सेना का वर्णन किया गया है।
- यह किताब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का आह्वान करती है। इस प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम् को रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था।
- 8 अप्रैल 1894 को ऐसे साहित्यसेवी, देशसेवी, सच्चे भारतीय की मृत्यु से बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा भारत शोक में डूब गया।

मोहम्मद अली जिन्ना, (1875-1948) –

- ये प्रमुख वकील, मुस्लिम लीग के नेता तथा पाकिस्तान के संस्थापक थे। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से प्रारंभ किया, लेकिन असहयोग आंदोलन का कड़ा विरोध करते हुए कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद ये पूर्णतः लीग की सांप्रदायिक राजनीति से संबन्धित हो गए।
- 1929 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और अपने चौदह सूत्रों को प्रस्तुत किया, जिसमें **मुसलमानों के पृथक / साम्प्रदायिक राजनीतिक हितों के विस्तार की मांग की गई।** इन्होंने अपने कुख्यात द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 20 मार्च, 1940 को लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित कराने के लिए प्रमुख रूप से ये ही उत्तरदायी थे।
- इन्होंने मुसलमानों को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। 1940 से 1947 तक इन्होंने पाकिस्तान का बनाने के लिए विभेदक नीति का अनुसरण किया। भारत के विभाजन के उपरान्त ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। इन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर, (1861-1941) –

- जन्म: 7 मई, 1861, कोलकाता
- मृत्यु: 7 अगस्त, 1941, कोलकाता
- उपलब्धियाँ: कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913, विश्व-भारती की स्थापना
- रवींद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है।
- वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान हैं – भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांग्ला'।
- गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया।
- रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 16 साल की उम्र में 'भानुसिंहा' उपनाम से उनकी कविताएँ प्रकाशित भी हो गयीं।
- वह घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए देश की आजादी की मांग की। जलियाँवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया।

प्रारंभिक जीवन

- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर

और माता शारदा देवी थी। टैगोर परिवार 'बंगाल रेनेसांस' (नवजागरण) के अग्र-स्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था।

- उनके सबसे बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येन्द्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे।
- उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्णकुमारी देवी एक कवयित्री और उपन्यासकार थी।
- उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जुडो और कुश्ती भी शामिल थे।
- अपने उपनयन संस्कार के बाद रवींद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन-स्थल डलहौज़ी पहुँचने से पहले वह परिवार के जागीर शान्ति निकेतन और अमृतसर भी गए।
- डलहौज़ी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास के कविताओं की विवेचना की।
- इसके पश्चात् रवींद्रनाथ जोड़ासाँको लौट आये और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ कर डालीं।
- उनके पिता देवेन्द्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रवींद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्व-अध्ययन किया। सन् 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वह बंगाल वापस लौट आये। वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ।

कैरियर

- इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन् 1901 तक का अधिकांश समय रवींद्रनाथ ने सिआल्दा (अब बांग्लादेश में) स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएँ लिखीं।
- वर्ष 1901 में रवींद्रनाथ शान्ति निकेतन चले गए। वह यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे।
- इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी होने लगी थी।
- 14 नवम्बर 1913 को रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और 'गीतांजलि' के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था।
- अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया जिसे रवींद्रनाथ ने 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया।

- विद्रोहियों की सहायता के दंड स्वरूप इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे फाँसी दे दी गई।
- अमरचन्द बाँठिया राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
- इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है।
- इन्हें राजस्थान का मंगल पाण्डे भी कहा जाता है।

अन्य तथ्य

1. राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम आयु में शहीद होने वाला " हेमू कालानी " था। इसे टोंक में फाँसी दी गई।
2. कोटा का विद्रोह राजपूताना का सबसे बड़ा जन विद्रोह था।
3. कोटा के किले को राजस्थान में 1857 की क्रांति का गढ़ कहा जाता है।
4. निम्बाहेड़ा के " फिरोजशाह " ने स्वयं को सम्राट घोषित कर विद्रोह कर दिया था।
5. प्रतापगढ़ के शासक दलपतसिंह को अंग्रेजों ने 2000 रुपये की खिलअत प्रदान की क्योंकि उसने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था।
6. ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ।
7. 1857 में विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा " माझा प्रवास " पुस्तक की रचना की गई।
8. बाँकीदास द्वारा " आयो अंगरेज मुल्क रे उपर " गीत की रचना की गई।
9. "खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी" कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई।
10. "झल्ले आउवों", " भाया सामल रही जो", " काली टोपी", " पीड़ितों का पंछीडा", अर्जी एवं तर्ज बगड़ावत" आदि 1857 की क्रांति के गीत थे।
11. 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री " पामस्टन " था।

अध्याय - 6

राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन

बिजौलिया किसान आंदोलन (1897-1941 44 वर्षों तक)

- जिला भीलवाड़ा
 - बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था।
 - संस्थापक अशोक परमार
 - बिजौलिया, मेवाड़ रियासत का ठिकाना था।
- कारण
1. लगान की दरें अधिक थीं।
 2. लाग-बाग कई तरह के थे।
 3. बेगार प्रथा का प्रचलन था।
- बिजौलिया किसानों से 84 प्रकार का लाग-बाग (टेक्स) वसूल किया जा जाता था।
 - बिजौलिया के किसान लोगों में धाकड़ जाति के लोग अधिक थे।
 - बिजौलिया किसान आंदोलन तीन चरणों में पुरा हुआ था।
1. 1897 से 1916 नेतृत्व - साधु सीताराम दास
 2. 1916 से 1923 नेतृत्व - विजयसिंह पथिक
 3. 1923 से 1941 नेतृत्व - माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी

प्रथम चरण (1897 से 1916 तक) से

- 1897 में बिजौलिया के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्युभोज के अवसर पर गिरधारीपूरा गांव से एकत्रित होते और ठिकानेदार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करने का निश्चय करते हैं। और नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा जाता है जहां मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंह ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस समय बिजौलिया के ठिकानेदार रावकृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चंवरी कर लगाया।
- चंवरी कर एक विवाह कर था, इसकी दर 5 रुपये थी। 1906 में कृष्णसिंह मर गया और नये ठिकानेदार राव पृथ्वीसिंह बने जिन्होंने तलवार बंधाई कर (उत्तराधिकारी शुल्क किसानों पर लागू कर दिया)।
- 1915 में पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास व इसके सहयोगी फतहकरण चारण व ब्रह्मदेव को बिजौलिया से निष्कासित कर दिया।

द्वितीय चरण (1916 से 1923 तक)

- 1917 में विजयसिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड (ऊपरमाल पंचायत) का गठन मन्ना पटेल की अध्यक्षता में किया। बिजौलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय व प्रचलित करने वाले समाचार पत्र प्रताप 2. ऊपरमाल डंका थे।
- 1919 में बिन्दुलाल भट्टाचार्य आयोग को बिजौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए भेजा जाता है। इस आयोग ने लगान की दरें कम करने तथा लाग-बागों को हटाने की

सिफारिश की किन्तु मेवाड़ के महाराणा ने इसकी कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की।

- 1922 में राजपुताना का ए.जी.जी. रॉबर्ट हॉलेण्ड बिजौलिया आते हैं और किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता करवाते हैं यह समझौता स्थाई सिद्ध नहीं हुआ।
- 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है।

तृतीय चरण (1923 से 1941)

- 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी. विजयराघवाचार्य थे इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉ. मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा इसने ठिकानेदार व किसानों के मध्य समझौता किया लगान की दरें कम कर दी अनेक लाग-बाग हटा दिये और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया।
- यह किसान आंदोलन सफलता पूर्वक समाप्त होता है।
- इस किसान आंदोलन में दो महिलाओं रानी भीलनी व उदी मालन ने भाग लिया था।
- किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था।

बेंगू (चित्तौड़गढ़) किसान आंदोलन

- बेंगू (चित्तौड़गढ़) मेवाड़ राज्य का ठिकाना था।
- बेंगू के किसानों ने अपने यहाँ लाग-बाग, बेगार और ऊँचे लगान के विरुद्ध 1921 ई. में मेनाल (भीलवाड़ा) नामक स्थान पर आंदोलन शुरू किया।
- इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया।
- 1922 में मंडावरी में किसान आंदोलन को गोलियों की बाँछार से तितर-बितर किया गया। यहाँ सिपाहियों की गोलियों का शिकार खुद एक सिपाही फेज खाँ हुआ।
- किसानों के विरोध के आगे ठाकुर अनूप सिंह को झुकना पड़ा और राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच समझौता हो गया।
- मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक संधि कहकर अनूपसिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया।
- 13 जुलाई, 1923 को गोविन्दपुरा में किसान सम्मेलन पर सरकार ने गोलियाँ चलवायी जिसमें रूपाजी व कृपाजी नामक किसान मारे गये।
- बेंगू में किसानों की शिकायतों की जाँच हेतु सरकार ने बंदोबस्त आयुक्त श्री ट्रेन्च की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया।
- सेटलमेन्ट कमिश्नर टेन्च की दमनकारी कार्यवाही से विजयसिंह पथिक पकड़े गये तथा उन्हें 3.5 वर्ष कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी।

बूँदी का किसान आंदोलन

- राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के बावजूद भी गावों में धीरे-धीरे महाजनो का वर्चस्व बढ़ने लगा। 'साद' प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन लिया जाने लगा। इस व्यवस्था से किसान अधिकाधिक रूप से महाजनो पर आश्रित होने लगे तथा

उनके चंगुल में फंसने लगे। 19 वीं सदी के अंत में व 20 वीं सदी के शुरू में जागीरदारों द्वारा किसानों पर नए-नए कर लगाये जाने लगे और उनसे बड़ी धनराशि एकत्रित की जाने लगी। जागीरदारी व्यवस्था शोषणात्मक हो गई। किसानों से अनेक करों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लाग-बाग लेने की प्रथा भी प्रारंभ हो गई। ये लागें दो प्रकार की थीं।

1. स्थाई लाग

2. अस्थायी लाग (इन्हें कभी-कभी लिया जाता था।)

- इस कारण से जागीर क्षेत्र में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई जिसके कारण किसानों में रोष उत्पन्न हुआ तथा वे आंदोलन करने को उतार हो गए।
- बिजौलिया, बेंगू और अन्य क्षेत्र के किसानों के समान ही बूँदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतों (लगभग 25%), बेगार एवं ऊँची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी।
- बूँदी राज्य में वसूले जा रहे कई करों के अलावा। रुपये पर आने की दर से स्थाई रूप से युद्धकोष के लिए धनराशि ली जाने लगी। किसानों के लिए यह अतिरिक्त भार असहनीय था। किसान राजकीय अत्याचारों से परेशान होने लगे।
- मेवाड़ राज्य के बिजौलिया में किसान आंदोलन की कहानियाँ पूरे राजस्थान में व्याप्त हुईं। अप्रैल 1922 में बिजौलिया की सीमा से जुड़े बूँदी राज्य के 'बराड़' क्षेत्र के पीड़ित किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसीलिए इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। किसानों को राजस्थान सेवा संघ का मार्गदर्शन प्राप्त था।
- किसानों ने राज्य की सरकार को अनियमित लाग, बेगार व भेंट आदि देना बंद कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व 'राजस्थान सेवा संघ' के कर्मठ कार्यकर्ता 'नयनू राम शर्मा' कर रहे थे। इनके नेतृत्व में डाबी नामक स्थान पर किसानों का एक सम्मेलन बुलाया।
- राज्य की ओर से बातचीत द्वारा किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों को दूर करने के लिए कई प्रयास हुए, किन्तु वे विफल हो गए। तब राज्य की सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाना शुरू किया और निहत्थे किसानों पर निर्ममतापूर्वक लाठियाँ व गोलियाँ बरसाई गईं।
- सत्याग्रह करने वाली स्त्रियों पर घुड़सवारों द्वारा घोड़े दौड़ाकर एवं भाले चलाकर अमानवीय अत्याचार किया गया। पुलिस द्वारा किसानों पर की गई। गोलीबारी में झण्डा गीत गाते हुए 'नानकजी भील' शहीद हो गए।
- आंदोलनकारियों के नेता नयनू राम शर्मा, नारायण लाल, भंवरलाल आदि एवं राजस्थान सेवा संघ के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर मुकदमे चलाए गए। नयनू राम शर्मा को राजद्रोह के अपराध में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी।
- यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा किन्तु इस आंदोलन से यहाँ के किसानों को कुछ रियायतें अवश्य प्राप्त हुईं और

प्रतापगढ़ प्रजामण्डल

- प्रतापगढ़ में 1931-32 में स्वदेशी वस्त्र, खादी प्रचार और मद्यनिषेध का प्रचार-प्रसार कर जन जागृति फैलाई थी। इसके लिए मास्टर रामलाल, राधावल्लभ सोमानी, रतन लाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में आंदोलन किया गया।
- प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने का मुख्य कार्य अमृत लाल पायक ने किया था। हरिजन उत्थान के लिए ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से 1936 में अमृत लाल पायक ने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना की थी।
- 1945 में चुन्नी लाल प्रभाकर और अमृत लाल पायक के नेतृत्व में प्रतापगढ़ प्रजामण्डल की स्थापना की गई। 1947 को महारावल ने प्रतापगढ़ में लोकप्रिय मंत्री मण्डल के गठन की घोषणा की। 2 मार्च 1948 में प्रजामण्डल के 2 प्रतिनिधि माणिक्य लाल और अमृत लाल पायक मंत्रिमण्डल में ले लिए गए।
- 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ भी राजस्थान संघ का अंग बन गया।

किशनगढ़ प्रजामण्डल

- किशनगढ़ में कांति लाल चौथानी ने 1930 में उपचारक मण्डल की स्थापना की थी। किशनगढ़ राज्य में श्री कांति लाल चौथानी के प्रयासों से 1939 में प्रजामण्डल की स्थापना की गई। इस प्रजामण्डल का अध्यक्ष श्री जमाल शाह को बनाया गया और इसका मंत्री महमूद को बनाया गया था।
- राज्य की ओर से प्रजामण्डल की स्थापना का कोई विरोध नहीं किया गया। 1942 में किशनगढ़ प्रजामण्डल ने चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त किया। महाराजा किशनगढ़ ने 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर किशनगढ़ को भारतीय संघ का एक अंग बना दिया था। किशनगढ़ भी 1948 में राजस्थान संघ में विलय हो गया था।

अध्याय - 9

राजस्थान का एकीकरण

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि 3 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी।
 - इन्होंने नया गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन को नियुक्त किया (भारत का अंतिम गवर्नर जनरल)
 - 31 दिसम्बर 1945 को उदयपुर राज्य में पण्डित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के अधिवेशन में राजस्थान के एकीकरण का सुझाव दिया गया।
 - राजाओं के वैमनस्य को देखते हुए यह लगने लगा था कि ये लोग स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पायेंगे। इसलिए यह अनुभव किया जाने लगा कि अब केन्द्र सरकार को ही एकीकरण का प्रयास करना होगा।
 - अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 16 दिसम्बर 1948 को यह घोषणा की कि राजस्थान की सभी छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा।
 - केबिनेट मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 22 मई 1946 ई. को घोषणा की कि छोटी-छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर बड़ी इकाईयां बना लेनी चाहिए या पड़ोस की बड़ी रियासतों या प्रांतों में मिल जाना चाहिए।
 - भारत स्वतंत्रता अधिनियम - 1947 की आठवीं धारा के अनुसार देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंत हो गया।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तीन श्रेणी के राज्य थे -
- (1) ए श्रेणी - वे राज्य, जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे जैसे बिहार, बम्बई, मद्रास आदि। इनके प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) कहलाते थे।
 - (2) बी श्रेणी - वे राज्य, जो स्वतंत्रता के बाद छोटी-बड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाये गए थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत आदि। इनके प्रमुख राजप्रमुख कहलाते थे।
 - (3) सी श्रेणी - ये वे छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिशनर के प्रान्त कहा जाता था जैसे अजमेर, दिल्ली।
- लार्ड माउन्टबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन/डिकी बर्ड प्लान/बेंटन योजना प्रारम्भ की।
 - इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अब देशी रियासतें या तो भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती थी या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकती थी।
 - सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती विभाग का गठन किया गया जिसके सचिव वी.पी. मेनन बने, क्योंकि वी.पी. मेनन उस समय लार्ड माउन्टबेटन के सलाहकार थे।
 - रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई।
 - भारत सरकार ने यह तय किया कि केवल वे ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी वार्षिक

आमदनी एक करोड़ रुपये या जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।

- इस मापदण्ड के अनुसार राजस्थान की केवल चार रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थीं।
- जबकि चार अन्य रियासतें अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर एवं जोधपुर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थीं।
- संविधान के 7 वें संशोधन द्वारा 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया तथा राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। राजपूताना को बी श्रेणी का राज्य माना गया था।
- मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह ने राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून, 1946 को उदयपुर में राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया। उनका राजस्थान यूनियन के गठन का प्रयास असफल रहा।
- इसी तरह के असफल प्रयास कोटा महाराव भीमसिंह ने हाईकोर्टी संघ बनाकर करने का प्रयास किया।
- कोटा महाराव भीमसिंह को आधुनिक इतिहास में राजस्थान एकीकरण का जनक कहा जाता है।
- डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया।
- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को सर्वप्रथम एक करने का प्रयास मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने (चीफशिप / खुदमुख्तियार), लावा (जयपुर रियासत में स्थित, वर्तमान में टोंक में), कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा), नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़) तथा। केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर-मेरवाड़ा (वर्तमान ब्यावर) था।
- धौलपुर व भरतपुर रियासत जाट शासकों के अधीन थी व टोंक रियासत पर मुस्लिम नवाब शासन करते थे।
- राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी जिसकी स्थापना गुहिल नामक व्यक्ति ने 566 ईस्वी में की तथा इसकी राजधानी नागदा थी। यहीं रियासत उदयपुर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- सबसे नयी - झालावाड़ रियासत (1835 ई.) थी। यह राजपूताना की एकमात्र रियासत थी जिसकी स्थापना एक अंग्रेज लार्ड आकलैंड द्वारा की गई थी।
- क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजा सुदर्शन देव उसके शासक थे।
- इन्होंने ही 14 अगस्त, 1947 को राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शाहपुरा में स्थापित किया था।
- क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ (जोधपुर) थी। महाराजा हनुवन्त सिंह उसके शासक थे। इन्होंने जोधपुर का विलय पाकिस्तान में करने का असफल प्रयास किया था।
- जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी।

- राजस्थान का एकीकरण सात चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 17 मार्च 1948 से आरम्भ होकर 1 नवम्बर 1956 तक चली।
- 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन राजस्थान की बड़ी रियासतों को मिलाकर एकीकरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया था।
- आधुनिक राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवम्बर 1956 को अस्तित्व में आया था। अतः 1 नवम्बर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है।
- राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री (23 मार्च, 1949 को बने) थे।
- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री थे।
- राजस्थान के प्रथम दलित या अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे।
- राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे।
- 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया थे इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है।
- 1 नवम्बर, 1956 से राजस्थान में राज्यपाल का पद प्रारम्भ हुआ और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने।
- राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख भूपालसिंह (उदयपुर), प्रथम राजप्रमुख उदयभान सिंह (धौलपुर) व प्रथम उपराज प्रमुख गणेशपाल वासुदेव (करौली) थे।
- श्री पी. सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया।
- श्री पी. सत्यनारायण राव कमेटी के अन्य सदस्य वी. विश्वनाथ एवं वी. के गुप्ता थे।
- पण्डित सत्यनारायण राव कमेटी के अनुसार हाई कोर्ट, जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में राजस्व मण्डल अजमेर में वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया।
- शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहत् राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री श्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया।
- इस समिति के अन्य सदस्य श्री प्रभुदयाल एवं श्री आर. के. सिंघवी थे।
- बाँसवाड़ा के महारावल चन्द्रवीर सिंह ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारन्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
- वी.पी. मेनन के ठीक समय पर किये गये प्रयासों व लार्ड माउन्टबेटन के समझाने के कारण जोधपुर नरेश हनुवन्त सिंह ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करने का विचार त्याग दिया।

- पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में सम्मिलित होना संभव नहीं था। साथ ही, इससे नयी तरह की समस्याएँ बड़ी हो सकती थी जैसे- पंजाब के जालंधर एवं अम्बाला डिविजन में हिंदू और सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे।
- इसी तरह, सशस्त्र सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक और आर्थिक समस्याएँ बड़ी हो सकती थी जैसे-पाकिस्तान बनने से उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या।
- सम्पूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में रखा गया। समूह A - इसमें बम्बे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। (हिंदू बहुसंख्यक) समूह 3 - इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध शामिल था। (मुस्लिम बहुसंख्यक)
- समूह-C- इसमें बंगाल एवं असम शामिल था (मुस्लिम बहुसंख्यक)
- **संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के सदस्य करेंगे और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा।**
- संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और यह रियासतें भारतीय संघ के साथ संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे। इसमें मुख्य राजनीतिक दल और सम्प्रदाय के लोग शामिल होंगे। (कांग्रेस-6 मुस्लिम लीग सिख इसाई और पारसी धर्म के 1-1 सदस्य रखे जाएंगे।)
- मूल्यांकन : - द्विराष्ट्र बाद सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात् हिन्दू -मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास कैबिनेट मिशन द्वारा की गया था।
- भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाये रखने की कांग्रेस की मांग के अनुरूप था जबकि प्रांतों को दी गयी आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक था। साथ ही **पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था।**
- इतना ही नहीं, भारतीयों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन तथा संविधान सभा का निर्माण करना एक सकारात्मक पहलु था। किंतु केन्द्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया गया जो अलगाव की दिशा में एक कदम था।

प्रधानमंत्री एटली की घोषणा (20 फरवरी 1947)

- भारत में बढ़ते साम्प्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री एटली को इस घोषणा के लिए बाध्य किया कि 20 जून 1948 तक हर हाल में भारत को आजाद

कर दिया जाएगा और इसके लिए माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया।

- एटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिल जुल कर नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद मुलाकर कार्य करेंगे।
- इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया क्योंकि यह व्यवहारिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गयी घोषणा थी।

माउंटबेटन योजना / मनबाटन योजना, डिकी बर्ड योजना / 3 जून की योजना (विभाजन के साथ हस्तांतरण की योजना): -

- भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और एक अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा के गठन की घोषणा की।
- अतः मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गयी। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने, लगे पाकिस्तान का नारा दिया जो साम्प्रदायिक हुए दंगों की प्रत्यक्ष उद्घोषणा थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जाने लगे। देश में अव्यवस्था फैली।
- इन्हीं स्थितियों में **माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है।**
- **प्रावधान :** भारत और पाकिस्तान इन दो डोमिनियन को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा।
- सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ मिलेंगे।
- पंजाब एवं बंगाल की विधायिका को दोहरा निर्णय लेना था-

(a) क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे।

(b) यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का विभाजन भी होगा।

- उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ मिलेंगे। (यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया)
- **सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित हो। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया।**
- विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे शांतिपूर्ण और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है और देश में प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया।

- कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। डॉ सैफुद्दीन किचलू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक सदस्यों ने विरोध प्रकट किया। अंततः जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को पारित किया।
- 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में इसे स्वीकृति मिली भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।

कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया ?

- 1946-47 में भारत में साम्प्रदायिक तनाव अत्यंत उग्र रूप ले लिया था। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। फलतः साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गयी और इसमें हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल रही। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी।
- ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयों अर्थात् विभाजन या गृहयुद्ध में से किसी एक को चुनना था। कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मान कर उसे स्वीकार किया। वस्तुतः विदोष भारतीयों की जीवन की रक्षा का लक्ष्य सर्वोपरी रखते हुए परिस्थितियों के स्वीकार किया, अनुसार विभाजन को स्वीकार किया।
- भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत के विखण्डनीकरण से बचा जा सकता था। दरअसल अनेक छोटी-बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा।
- अंतरिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग सरकार से ही असहयोग कर रही थी। इससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी।
- देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढाँचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार किया गया। अन्यथा सेना नेतृत्वविहीन हो सकती थी और ऐसे में सैन्य तंत्र की स्थापना संभव थी।

अध्याय - 11

राज्यों का पुनर्गठन

- स्वतंत्रता के पश्चात् ही भारत के सामने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल आ खड़ा हुआ। यह राष्ट्र की एकता और समेकन का महत्वपूर्ण पहलू था।
- अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्री रामलू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई, इसके पश्चात् हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा, जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था।
- आंध्र प्रदेश के गठन के कारण भारत के अन्य भाषा भाषियों की मांग की अवहेलना नहीं की जा सकती थी इसलिए सरकार ने 22 दिसम्बर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की।
- इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे तथा आयोग के अन्य सदस्य थे - के.एम. पणिकर तथा हृदयनाथ कुंजरु।
- आयोग ने 30 दिसम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को शॉप दी।
- केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद से पारित करवाया।
- इस अधिनियम के प्रवर्तन के कारण भारत में 14 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बम्बई, केरल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल) और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, हिलाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अमीनद्वीप तथा मिनीकाय द्वीप) का गठन किया गया।
- 1956 में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तान्तरण की संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने चंद्रनगर, माहे, यना और कारकल को अर्जित कर लिया और इन सभी को मिलाकर छठवें संघ राज्य 'पाण्डिचेरी' का गठन किया।
- 1961 में सातवां संघ क्षेत्र गोवा बनाया गया।
- मराठी तथा गुजराती भाषियों के पारस्परिक संघर्ष के कारण बम्बई को 1960 में विभाजित करके 15वें राज्य गुजरात का गठन किया गया।
- नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1962 में नागालैण्ड को अलग राज्य बनाया गया।
- 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब को पंजाबी भाषी प्रांत तथा हिन्दी भाषी प्रांत को हरियाणा राज्य बनाया गया।
- 1969 में असम को एक बार फिर विभाजित करके मेघालय को राज्य बनाया गया।
- 1971 में हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया।
- 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया।

अध्याय - 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

- (1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।
- (2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
- (3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है।
- (4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।
- (5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- (6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।
- (7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
- (8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
- (9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

- (1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**
- (2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बन्धित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं।
- (3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**
- (4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।
- (5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
- (6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बन्धित मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

मौलिक अधिकारों की आलोचना -

- (1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
- (2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं।
- (3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।
- (4) **आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।**
note- अनुच्छेद - 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता।
- (5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं।
- (6) **संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकती है।**
- (7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रक्रिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 (राज्य की परिभाषा)	अनु. 13 (मूल अधिकारों को विधि से संरक्षण)
(i) संघ सरकार एवं संसद	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
(ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल	
(iii) स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी	विधि
(iv) सार्वजनिक अधिकारी	(i) स्थाई विधि- संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित
अन्य वे निजी संस्थाएँ जो राज्य के लिए कार्य करती हो	(ii) अस्थायी विधि - जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें।
	(iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि
	(iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

(1) **समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)**

i. **विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-**

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है।** विधी के समक्ष समता से आशय है, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नहीं होगा। विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

अध्याय - 12

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है। परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती है।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता है:
 - मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
 - कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
 - परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
 - अंतरिक्ष विभाग आदि।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
- लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है:

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता है और उनमें बदलाव भी कर सकता है।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता है तो वह उस मंत्री को

इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है।

- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता है।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
- प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता है।

राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायावादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता है।

संसद के संबंध में -

- प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह देता है।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता है।
- वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है।
- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता है।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य न हो। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे।

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

- सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं:

लाभ	हानि
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- सामान्यतः, यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं। इसका कारण एक खंडित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है। कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय, अपन दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं। हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी

महत्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

- अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं। ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा।
- **मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।**
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता है। एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मंत्री बना रह सकता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद प्राप्त करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है।
- **प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।** इस उपबंध का समावेश 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया है।
- संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा। इस प्रावधान को भी, 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है।
- **मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।**
- **मंत्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।**
- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा जब तक संसद भत्ते का निर्धारण नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

अध्याय - 16

नियंत्रक एवं (अनुच्छेद - 148 -151) महालेखा परीक्षक

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की प्रावधान है जो भारत के लेखा-बही का प्रमुख होता है और समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के आर्थिक क्रियाकलापों की देख-रेख करता है।
- वर्तमान CAG → के. संजय मूर्ति

नियुक्ति की शर्तें

1. महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
2. उसका कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष तक होता है या वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो।
3. वह भारत का नागरिक हो तथा बही खातों की निगरानी का लंबा अनुभव हो।

स्वतंत्रता :- महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र कार्य करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं:

1. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसको हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है।
2. इसके कार्यकाल के दौरान इसकी सेवा एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।
3. वह इस पद को धारण करने के बाद किसी अन्य केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पद को धारण नहीं कर सकता।
4. इसका वेतन, भत्ता एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसका वेतन एवं सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होती हैं।
5. अपने तमाम लेखों के निरक्षण का विवरण वह समय-समय पर राष्ट्रपति को सौंपता है। जिसपर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद सदस्यों के सामने संसद के पटल पर रखवाता है।
6. इसको पद से विमुक्त करने के लिए लगभग वही प्रावधान है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान है।

शक्तियां एवं कार्य :- संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद समय-समय पर महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों नियम एवं शर्तों का निर्धारण करती है।

1. उन सभी बही खातों का निरक्षण करना जिनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के खर्चे शामिल होते हैं। उन सभी संस्थाओं व्यापारी घरानों आदि के खातों का निरक्षण करना जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय सहायता प्राप्त है।
2. महालेखा परीक्षक समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के खातों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।

3. महालेखा परीक्षक समय-समय पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए इस रिपोर्ट को संसद के सदस्यों के समक्ष रखवाता है।
4. महालेखा परीक्षक राज्य स्तरीय खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इस पर विचार के लिए विधानसभा में रखवाता है।
5. यह नये टैक्स के निर्धारण एवं धन उपयोगिता संबंधित सलाह भी देता है।
6. यह संसद के लोक-लेखा समिति के लिए एक मार्गदर्शक मित्र एवं एक दार्शनिक की तरह कार्य करता है।
7. वह राज्य सरकारों के खातों को संकलित एवं नियंत्रित करता है।
8. इसकी सतर्कता का परिणाम बहुत व्यापक होता है और सरकारों को पथ से विमुख होने की संभावना कम होती है। जिसका वर्तमान उदाहरण 2 जी घोटालों में देखा जा सकता है।

अध्याय - 17

केंद्रीय सूचना आयोग/मुख्य सूचना आयुक्त

- केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गयी,
- इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है।
- सूचना आयोग केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है

सूचना का अधिकार (right to Information)

- किसी लोकतंत्र की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें से एक है शासन में पारदर्शिता और सही सूचनाओं तक लोगों की पहुँच।
- खासकर के भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है। वैसे भारतीय संविधान देशे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- सूचना का अधिकार (RTI) एक ऐसा अधिकार है जो एक एड ऑन (Add on) की तरह काम करता है और अन्य अधिकारों को भी सशक्त (Strong) बनाता है।
- दूसरी बात कि ये प्रशासन या प्राधिकरण में सतर्कता बनाए रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
- इसकी शुरुआत वैसे तो 1948 से ही मानी जाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया।
- जिसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- भारत में इसे 2005 में एक अधिनियम के द्वारा अपनाया गया और केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- “सूचना का अधिकार” से यहाँ मतलब पहुँच सकने योग्य सूचना से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है, इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

- (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
- (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
- (iii) सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
- (iv) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना है।

- सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
- थॉमस जैफरसन - (अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005- सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act-RTI), 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे शासन में पारदर्शिता और नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

- केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

- इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) एवं 10 सूचना आयुक्त (Information commissioner) होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

- (क) मुख्य सूचना आयुक्त; और
- (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

- (i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और
- (iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

- इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये।